राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1992/2023

सुरेन्द्र सिंह चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. श्री भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार, भू–अभिलेख धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार भू–अभिलेख के पद पर मौलासर, जिला नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार, भू–अभिलेख, भरतपुर रिक्त पद पर किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 02.06.2023 को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि उक्त दिशा निर्देश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते है। अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दिनांक 31.01.2023 को कार्य ग्रहण किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में किया गया है, जो उचित नही है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधानसभा चुनाव, 2023 को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जो तहसीलदार भू–अभिलेख भरतपुर के रिक्त पद पर किया गया है। उनका आगे तर्क है कि राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 267 दिनांक 14.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार, एपीआरटी, टोंक से तहसीलदार, मौलासर, जिला नागौर के पद पर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र

क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 7(1) राज–1/ 2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दूओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षो में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (1) राज– 1/2015 दिनांक 31.07.2023 के क्रम में राजस्व मण्डल का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश क्रमांक 3444 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। जहां तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध का प्रश्न है, उक्त प्रतिबंध का आदेश प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 जारी कर लागू किया है। वर्तमान स्थानांतरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 02.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में किये गये हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का आदेश केवलमात्र डाइरेक्ट्री है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया आदेश 02.06.2023 की पालना में किये गये स्थानांतरण पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 02.06.2023 राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। आलोच्य आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए राज्यहित व प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)